

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०

प्रकरण क्रमांक 169/2011 सत्रवाद

संस्थापित दिनांक 16-07-2011

चन्द्रशेखर शर्मा पुत्र श्रीराम शर्मा, उम्र 44 वर्ष।  
जाति- ब्राह्मण, निवासी ग्राम भगवासा, थाना  
गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

-----परिवादी

### बनाम

1. शिवप्रसाद शर्मा पुत्र राधाकृष्ण, उम्र 62 वर्ष,  
जाति ब्राह्मण, तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत  
भगवासा, जनपद पंचायत गोहद, थाना गोहद,  
जिला भिण्ड म०प्र०
2. रामगोपाल त्रिपाठी पुत्र जगन्नाथप्रसाद, उम्र 70,  
तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत भगवासा, परगना  
गोहद, हाल निवासी- बरथरा रोड वार्ड नम्बर 2  
गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

-----अभियुक्तगण

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री सुशील कुमार  
के न्यायालय के मूल अपराधिक प्र०कं०. 622/2010 इ०फौ०  
से उद्भूत यह सत्र प्रकरण क० 169/2011

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।  
अभियुक्तगण द्वारा श्री आर.डी.गुप्ता एवं श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता।

//निर्णय//

//आज दिनांक 15-09-2016 को घोषित किया गया//

01. वर्तमान में विचारित किये जा रहे आरोपीगण का विचारण धारा 420, 467, 468, 471 भा०दं०वि० के अपराध के संबंध में किया जा रहा है। उन पर आरोप है कि दिनांक 10.07.2005 से 05.12.2005 के मध्य ग्राम पंचायत भगवासा तहसील गोहद में सरपंच/पंचायत सचिव

रहते हुए छल किया और एतद् द्वारा शासन को बेईमानीपूर्वक उत्प्रेरित करते हुए मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में चैक से प्राप्त होने वाली राशि को अपने उपयोग हेतु संपरिवर्तित किया। उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त अवधि के दौरान उपरोक्त स्थान पर आरोपीगण के द्वारा दस्तावेज जो कि पंचायत में पारित प्रस्ताव है, में काटपीट की गई तथा ऐसे प्रस्ताव/मूल्यवान प्रतिभूति की रचना की गई जिससे कि धन प्राप्त किया जा सके और इस हेतु उनके द्वारा दस्तावेजों की कूट रचना की गई। उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त अवधि के दौरान उनके द्वारा कूट रचना इस आशय से किया गया कि छल के प्रयोजन के उपयोग में लाया जा सके तथा उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त अवधि के दौरान कपट पूर्वक, बेईमानी से पंचायत के प्रस्ताव आदि के संबंध में यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि दस्तावेज कूटरचित किया गया उसका उपयोग असली दस्तावेज के रूप में किया गया।

02. परिवादी का परिवादपत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि शिवप्रसाद शर्मा जो कि ग्राम पंचायत भगवासा के सरपंच रहे हैं के द्वारा अपने सरपंची की पदस्थापना कार्यकाल के दौरान ग्राम पंचायत भगवासा में छल कपट एवं बेईमानी से ग्राम पंचायत भगवासा की बैठक में प्रस्ताव क्रमांक 15 दिनांक 10.07.2005 में नाला खुदाई हेतु 50,000/- रुपए की स्वीकृति दी गई और दिनांक 10.07.2005 को ग्राम पंचायत भगवासा की कार्यवृत्त पुस्तक के उक्त प्रस्ताव में उसके द्वारा ओवर राइटिंग कर राशि बढ़ाकर 60,000/- रुपए की गई है। दिनांक 21.08.2005 की ग्रामसभा बैठक में राशि निकालने हेतु प्रस्ताव क्रमांक 9 पारित किया गया जिसमें 19,000/- रुपए की नाला खुदाई हेतु तथा 1000/- रुपए स्टेशनरी व्यय हेतु पारित किया गया था, जबकि दिनांक 21.08.2005 की कार्यवृत्त पुस्तक में प्रस्ताव क्रमांक 9 पर उन्नयन कुटीर हेतु हिग्राहियों के चयन हेतु सरपंच ने उक्त प्रस्ताव में लिखा है। ग्राम पंचायत भगवासा के मस्टर्सरील दिनांक 20.06.2005 से दिनांक 26.06.2005 एवं दिनांक 27.06.2005 से 03.07.2005 में नीवा के कुँआ के गहरीकरण हेतु मजदूरों को सरपंच द्वारा भुगतान करना बताया है, जबकि उपयंत्री श्री एस.पी. माहौर द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गोहद को भेजी गई रिपोर्ट दिनांक 18.04.2006 के अनुसार दिनांक 18.04.2006 तक नीवा के कुँआ के गहरीकरण का कार्य प्रारंभ ही नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त दिनांक 02.10.2005 को ग्राम पंचायत भगवासा में ग्राम सभा की बैठक हुई जिसमें ग्राम पंचायत भगवासा की उक्त दिनांक की कार्यवृत्त पुस्तक में प्रस्ताव क्रमांक 1 लगायत 3 डालकर शील व साइन कर कार्यवृत्त पुस्तक बंद कर दी गई थी, किन्तु सरपंच शिवप्रसाद ने कार्यवृत्त प्रस्तुत में शील व साइन सफेदा से मिटाकर अपने निजी लाभ के लिए पुनः 4 लगायत 12 प्रस्ताव बेईमानी एवं कूटरचना करके डाले गए थे। सरपंच शिवप्रसाद

के द्वारा सचिव से मिलकर दिनांक 05.12.2005 को इन्द्राआवास की अग्रिम किस्त देने हेतु 12500/- रूपए की फर्जी रसीद क्रमांक 10 काटी थी जिस पर सरपंच की केवल शील लगी है, किन्तु साइन नहीं है।

03. परिवादी के द्वारा उक्त आशय का परिवादपत्र अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471 भा०दं०वि० का पेश किया गया जिस पर न्यायालय के द्वारा परिवादी व उसके साक्षियों के धारा कथन धारा 200, 202 जा०फौ० लेखबद्ध किए गए। परिवादपत्र जाँच हेतु अनुविभागीय अधिकारी गोहद को भेजा गया। परिवादपत्र की जाँच में यह तथ्य आया कि परिवादपत्र में बताए गए अपराध में तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत भगवासा रामगोपाल त्रिपाठी भी संलग्न रहा है। उक्त जाँच के उपरांत न्यायालय के द्वारा आरोपी शिवप्रसाद शर्मा एवं रामगोपाल त्रिपाठी के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471 भा०दं०वि० का संज्ञान लिया गया जो कि सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से कमिट उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

04. आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 420, 467, 468, 471 भा०दं०वि० का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।

05. दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है। आरोपी शिवप्रसाद के द्वारा उसे पूर्व में चुनावी रंजिश और आपराधिक प्रकरणों के चलने के कारण जिसमें कि उसकी रिपोर्ट के आधार पर फरियादी एवं उसके भाईयों को सजा भी हुई है के कारण उसे झूठा लिप्त किया जाना और उसके कार्यकाल में कोई भी रिकार्ड की काटपीट न होना बताया है। अन्य आरोपी रामगोपाल त्रिपाठी के द्वारा यह बताया गया है कि उसके विरुद्ध परिवादपत्र पेश नहीं किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा कथित रूप से जो जाँच की गई है और उसके आधार पर उसे आरोपी के रूप में जोड़ा गया है, उक्त जाँच की कार्यवाही हेतु उसे कोई सूचना नहीं दी गई थी। वह मात्र कुछ महीने भगवासा पंचायत में सचिव के अतिरिक्त प्रभाव पर रहा है। इस दौरान कोई भी अनियमितता नहीं हुई है। बचाव पक्ष के द्वारा बचाव साक्षी राकेश ब०सा० 1 का कथन कराया गया है।

06. आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या दिनांक 10.07.05 से 05.12.05 के मध्य ग्राम पंचायत भगवासा के सरपंच व सचिव होते हुए उनके द्वारा शासन को प्रवंचित किया गया?
2. क्या आरोपीगण के द्वारा ग्राम पंचायत भगवासा के सरपंच एवं सचिव होते हुए पंचायत से संबंधित कार्यों के संबंध में मूल्यवान दस्तावेजों का निर्माण किया गया जिससे कि उनके द्वारा शासकीय राशि स्वयं के लाभ के लिए प्राप्त की ?
3. क्या उक्त कृत्य आरोपीगण के द्वारा बेईमानी पूर्वक किया गया?
4. क्या उपरोक्त अवधि के दौरान आरोपीगण के द्वारा ग्राम पंचायत भगवासा के पारित प्रस्तावों की काटपीट की एवं ऐसे मूल्यवान दस्तावेजों का निर्माण किया जिससे कि धनराशि प्राप्त कर सके?
5. क्या आरोपीगण के द्वारा उक्त दस्तावेजों के निर्माण करने में कूट रचना की गई ?
6. क्या आरोपीगण के द्वारा दस्तावेजों की कूट रचना छल के प्रयोजन में उपयोग के लिए किया गया ?
7. क्या आरोपीगण के द्वारा कूट रचित दस्तावेजों का असली के रूप में उपयोग में लाने हेतु किया गया?

#### —: सकारण निष्कर्ष :—

बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 07 :-

07. परस्पर जुड़े होने एवं साक्ष्य विवेचना की सुगमता को दृष्टिगत रखते हुए सभी विचारीण बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
08. छल को धारा 415 भा.दं.वि. के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। छल के अपराध को घटित करने हेतु निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं— (अ) किसी व्यक्ति को प्रवंचित करना, (ब) इस प्रकार से प्रवंचित किये गए व्यक्ति को कपट पूर्वक अथवा बेईमानी से इस बात के लिए प्रेरित करना कि वह किसी व्यक्ति को कोई सम्पत्ति परिदत्त कर दे अथवा किसी मूल्यवान प्रतिभूति को या चीज को जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित हो और जो मूल्यवान सम्पत्ति में संपरिवर्तित किये जाने योग्य हो पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित या नष्ट कर दे। (स) आरोपी के द्वारा बेईमानी पूर्वक उक्त कृत्य किया जाए। इस परिप्रेक्ष्य में धारा 420 भा0दं0वि0 के अपराध की प्रमाणिकता हेतु किसी व्यक्ति को प्रवंचित करने हेतु कपट पूर्वक अथवा बेईमानी पूर्वक आशय रखना और इस प्रकार उसे छल करना आवश्यक तत्व है।
09. कूट रचना को धारा 463 भा.दं.वि. के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। कूट



रचना हेतु आवश्यक तत्व :- (अ) आरोपी के द्वारा कूट रचना की जाए, (ब) इस प्रकार की कूट रचना किसी दस्तावेज के संबंध में जिसका कि कोई मूल्यवान प्रतिभूति या किसी सम्पत्ति को प्राप्त करने अथवा प्रदत्त करने का अधिकार दिया जाना आदि है। इस प्रकार धारा 467 भा०दं०वि० के अपराध को प्रमाणित करने हेतु किसी मूल्यवान प्रतिभूति या किसी सम्पत्ति को प्राप्त करने का अधिकार दिए जाने के संबंध में कूट रचना किया जाना आवश्यक है।

10. धारा 468 भा.दं.वि. छल के प्रयोजन के आशय से कूट रचना किये जाने जिसका कि छल के प्रयोजन में उपयोग में लाना आशयत हो के संबंध में प्रावधान करती है। धारा 471 भा०दं०वि० कूट रचित दस्तावेज का असली के रूप में लाने के संबंध में प्रावधान करती है।

11. उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अब वर्तमान प्रकरण में यह देखना है कि क्या अभियोजन इस तथ्य को प्रमाणित करा पाया है कि क्या आरोपीगण के द्वारा छल कर शासकीय राशि को अपने उपयोग हेतु प्राप्त किया? क्या आरोपीगण के द्वारा दस्तावेजों में काटपीट कर एवं कूट रचित दस्तावेजों की रचना जो कि मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में धन प्राप्त करने के लिए किया? क्या उक्त कूट रचित दस्तावेजों की रचना छल के प्रयोजन में उपयोग में लाने हेतु किया गया? क्या कूट रचित दस्तावेजों को असली के रूप में उपयोग में लाया गया?

12. परिवादी के द्वारा प्रस्तुत परिवादपत्र के संबंध में परिवादपत्र के अनुसार एवं उसमें आए हुए जाँच प्रतिवेदन के अनुसार पंचायत के प्रस्ताव क्रमांक 15 दिनांक 10.07.2005 में 50,000/- रुपए को ओव्हर राइटिंग कर 60,000/- रुपए किया जाना बताया है। इसके अतिरिक्त प्रस्ताव क्रमांक 9 दिनांक 21.08.2005 जो कि कुटीर उन्नयन के हितग्राहियों के चुनाव हेतु था के नीचे पुनः प्रस्ताव डालकर बैंक से 19,000/- रुपए नाला खुदाई के रुपए, एक हजार रुपए स्टेशनरी के व्यय हेतु कुल 20,000/- रुपए बैंक से निकाला जाना बताया गया है। इसके अतिरिक्त नीवा के कुँआ के गहरीकरण हेतु मस्टर दिनांक 20.06.05 से 26.06.05 एवं दिनांक 27.06.2005 से 03.07.2005 में फर्जी हाजिरी भरकर 9,888/- रुपए निकाल लेना। इसके अतिरिक्त दिनांक 05.12.2005 को इन्द्राआवास की अग्रिम किस्त देने हेतु रुपए 12,500/- की रसीद जिस पर कि सरपंच की केवल सील लगी हुई थी उसके द्वारा उस पर हस्ताक्षर बाद में किया जाकर फर्जी रसीद काटी जानी बताई है। पंचायत की प्रोसीडिंग दिनांक 02.10.2005 को प्रस्ताव क्रमांक 1 से 3 तक लिखा जाकर सचिव ने हस्ताक्षर किये थे, किन्तु पुनः उसे व्हाइटनर से मिटाकर प्रस्ताव क्रमांक 4 से 12 तक फर्जी प्रविष्टि बाद में किया जाना बताया गया है।

13. परिवादी चन्द्रशेखर जिसके द्वारा वर्तमान परिवादपत्र पेश किया गया है जिसका कि परीक्षण अ०सा० 2 के रूप में हुआ है अपने साक्ष्य कथन में आरोपीगण को पहचानना स्वीकार करते हुए बताया है कि, शिवप्रसाद उनकी पंचायत के सरपंच थे और रामगोपाल उस समय सचिव थे। करीब 7-8 साल पहले की बात है गांव में पंचायत के जरिए नाला खुदाई का कार्य हो रहा था जिसका ठहराव प्रस्ताव ग्राम पंचायत की मीटिंग में डाला था। नीवा के कुँआ का गहरीकरण का कार्य भी होना था एवं उसका भी ठहराव प्रस्ताव हुआ था। इसके अतिरिक्त इन्द्राआवास योजना के अंतर्गत जो कार्य होना था उसकी रसीद काटी गई थी जिसमें कि सरपंच के हस्ताक्षर बिना रसीद काटी गई थी। उपरोक्त सभी कार्यों में अनियमितताएं की गई थी। उक्त अनियमितताओं के अंतर्गत कलेक्टर, एस.डी.एम को शिकायतें की गई थी और उसकी जाँच भी हुई थी। इसके बाद न्यायालय में इस्तगासा पेश किया था। इस बिन्दु पर परिवादी के द्वारा परिवादपत्र के समर्थन में कराए गए अन्य परीक्षित साक्षी अजय अ०सा० 1 के द्वारा नाला खुदाई के प्रस्ताव में 50,000/- रुपये की जगह ओव्हर राइटिंग कर 60,000/- रुपये किया जाना, पंचायत के ठहराव क्रमांक 9 की प्रोसिडिंग दो बार जिनमें एक में पैसे निकालने और एक में अन्य प्रोसिडिंग लिखी गई है। इसके अतिरिक्त पंचायत के प्रस्ताव क्रमांक 4 से लेकर 12 तक की प्रोसिडिंग उसकी बैठक खत्म होने के बाद पूर्व की प्रोसिडिंग पर व्हाइटनर लगाकर क्रमांक 4 से लेकर 12 तक की फर्जी प्रोसिडिंग करने के बारे में बताया है और इन्द्राआवास के तहत 12,500/- रुपये की रसीद फर्जी रूप से काटा जाना बताया है।

14. यह उल्लेखनीय है कि न्यायालय के द्वारा परिवादी चन्द्रशेखर के न्यायालय में उपरोक्त परिवाद पेश करने के पश्चात् परिवादपत्र के तथ्यों के संबंध में जाँच करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोहद को निर्देशित किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोहद के द्वारा इस संबंध में जाँच कर जाँच रिपोर्ट न्यायालय में पेश की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि परिवादपत्र में मात्र शिवप्रसाद शर्मा को आरोपी के रूप में दर्शाते हुए परिवादपत्र पेश किया गया है जो कि न्यायालय के द्वारा पाश्चातवर्ती प्रक्रम में जाँच रिपोर्ट आने के पश्चात् ग्राम पंचायत भगवासा के तत्कालीन सचिव रामगोपाल त्रिपाठी के विरुद्ध भी अपराध का संज्ञान लेते हुए उसे आरोपी के रूप में जोड़ा गया है।

15. उपरोक्त संबंध में अभियोजन के द्वारा तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोहद एस.के. दुवे अ०सा० 5 का कथन कराया गया है। जिनके द्वारा न्यायालय से प्राप्त पत्र प्र.पी. 10 की जाँच के दौरान शिवप्रसाद शर्मा पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत भगवासा को कारण बताओ नोटिस प्र.पी. 11, 12 जारी करना और उसी दिनांक को उपयंत्री एस.पी. माहौर को

कारण बताओ नोटिस प्र.पी. 13 का जारी करना जो कि शिवप्रसाद के द्वारा प्र.पी. 14 का जबाव पेश किया गया था और तत्कालीन सचिव सुनील कुमार ऋषिश्वर के द्वारा प्र.पी. 9 का जबाव पेश किया गया था तथा उपयंत्री के द्वारा प्र.पी. 2 का जबाव पेश किया गया था। उक्त कार्यवाही के दौरान उन्होंने एस.पी. माहौर एवं सुनील कुमार के कथन भी लिखे थे। उनके द्वारा जाँच उपरांत प्र.पी. 15 के अनुसार जाँच रिपोर्ट भेजी गई थी।

16. उपरोक्त संबंध में एस.पी.माहौर अ0सा0 3 जो कि जनवरी, 2000 से जुलाई 2006 तक गोहद जनपद पंचायत में सब इंजीनियर के पद पर पदस्थ था। जनपद पंचायत गोहद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत भगवासा के द्वारा माह अप्रैल, 2005 से दिसम्बर, 2005 तक कराए गए कार्यों के मूल्यांकन के संबंध में पत्र दिया था जिसके पालन में उनके द्वारा स्थल निरीक्षण कर मूल्यांकन रिपोर्ट दी थी और इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा दिनांक 30.08.2010 को परिवादपत्र के संबंध में बिन्दुओं की जानकारी बावत् भी लिखा गया था जो कि मूल्यांकन रिपोर्ट प्र.पी. 1 एवं बिन्दुवार कथन प्र.पी. 2 है जिस पर ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। उक्त मूल्यांकन रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन में उन्होंने मुख्य से रामलोटन की बगिया तक रोड मरम्मत का कार्य नाला खुदाई और ताल की पुलिया से ताल के किनारे तक एवं कूप मरम्मत का कार्य हरीदास बाबा मंदिर के पास से कार्य होना पाया था जिसका मूल्यांकन 12,609/- रु, 22042/- रु, एवं 20,900/- रूपए किया गया था। इसके अतिरिक्त दो कार्य स्वीकृति के उपरांत भी नहीं कराए गए थे, जिनमें नीवा के कुँआ का मरम्मत एवं गहरीकरण व सुरेन्द्र शर्मा के मकान से अनिल शर्मा के मकान तक सी.सी. रोड गिरना।

17. साक्षी सुनील ऋषिश्वर अ0सा0 4 जो कि घटना काल के पूर्व ग्राम पंचायत भगवासा के सचिव थे तथा बाद में भी बहाल होने पर वह ग्राम पंचायत भगवासा के सचिव रहे हैं। घटनाकाल के दौरान शिवप्रसाद शर्मा के सरपंच होने और रामगोपाल त्रिपाठी के सचिव होना बताते हुए उनके कार्यकाल के दौरान पंचायत के कार्यों में गड़बड़ी हुई थी। उक्त गड़बड़ियों के संबंध में शिकायत होने पर तत्कालीन सरपंच रामनरेश शर्मा के द्वारा पंचायत प्रस्ताव एवं कार्यों की नकलें मांगी गई थी जो कि उनके द्वारा प्रदान की गई थी। जिसमें दिनांक 10.07.2005 ठहराव क्रमांक 15 जो कि नाला खुदाई के संबंध में था जिसकी मूल प्र.पी. 3 व प्रतिलिपि प्र.पी. 3सी है। प्रस्ताव क्रमांक 9 दिनांक 21.08.2005 का कुटरी उद्योग के उन्नयन एवं बैंक की राशि निकालने के संबंध में पारित किया गया था जिसकी मूल प्र.पी. 4 है और प्रतिलिपि प्र.पी. 4सी है। दिनांक 02.10.2005 की ग्रामसभा की बैठक में ठहराव क्रमांक 3 पारित किया गया। ठहराव क्रमांक 3 की रसीद के नीचे ब्लाइटनर लगाया गया और भाइटनर



लगाने के बाद ठहराव क्रमांक 12 तक पारित किया गया है जिसकी मूल प्रति प्र.पी. 5 है और प्रतिलिपि प्र.पी. 5सी है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 20.06.2005 से 26.06.2005 एवं 27.06.2005 से 03.07.2005 तक मस्टर रोड शिवप्रसाद शर्मा के पास नीवा के कुँआ के गहरीकरण के भुगतान हेतु जनपद पंचायत को भेजा गया था जो कि असल मस्टर प्र.पी. 6 और 7 है जिसकी प्रतिलिपि प्र.पी. 6सी, 7सी है जिस पर उनके ए से ए भागों पर तत्कालीन सरपंच शिवप्रसाद शर्मा के हस्ताक्षर है। इन्द्राआवास योजना के अंतर्गत दिनांक 05.12.2005 सरपंच के द्वारा रसीद क्रमांक 10 राशि 12,500/- रुपए जारी की गई जो प्र.पी. 8 है जिस पर सरपंच शिवप्रसाद शर्मा के हस्ताक्षर है जिसकी प्रतिलिपि प्र.पी. 8सी है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 28.08.2010 को अनुविभागीय अधिकारी गोहद के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसका जबाव पेश किया गया है जो प्र.पी. 9 है।

18. बचाव पक्ष के द्वारा बचाव साक्षी के रूप में राकेश पुत्र नंदलाल ब0सा0 1 का कथन कराया गया है, जिसके द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह बताया है कि गांव में नीवा के कुँआ की खुदाई गहरीकरण का कार्य किया था, जिसमें वह एवं अन्य मजदूर लगे हुए थे। इस संबंध में उसे व अन्य मजदूरों को मजदूरी भुगतान की गई थी, जो कि मस्टर रोल प्र.पी. 6 व 7 होने और उस पर उसके हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

19. अभियोजन एवं बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर एवं साक्षियों के कथनों की विश्वसनीयता के संबंध में विचार किया जाना उचित होगा।

20. वर्तमान प्रकरण जो कि परिवादी चंद्रशेखर के परिवादपत्र पर संचालित हुआ है। इस संबंध में साक्षी चंद्रशेखर अ0सा0 2 के प्रतिपरीक्षण में यह तथ्य आया है कि परिवादपत्र के संबंध में रिकार्डों की सर्टिफाइड कॉपी निकाली थी, किन्तु परिवादी के द्वारा कोई सर्टिफाइड कॉपी परिवादपत्र के पेश करने के पूर्व निकाली गई हों ऐसा दर्शित नहीं होता है और न ही कोई ऐसे दस्तावेज उनके द्वारा प्रमाणित किये गए हैं। उक्त साक्षी यह भी स्वीकार किया है कि वह ग्राम पंचायत का कभी सदस्य नहीं रहा है और पंचायत में किसी भी पद पर कभी पदस्थ नहीं रहा है। साक्षी के द्वारा इस बात को भी स्वीकार किया गया है कि गांव के जनकसिंह की हत्या के प्रकरण में वह, उसका पिता व भाई आरोपी के रूप में है और उक्त प्रकरण में उन्हें सजा हुई है जो कि उक्त घटना की रिपोर्ट वर्तमान आरोपी शिवप्रसाद के द्वारा की गई थी जैसा कि इस संबंध में परिवादी साक्षी अजय अ0सा0 1 के द्वारा प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है।

21. परिवादी साक्षी अजय अ0सा0 1 के द्वारा प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि उसके सामने कोई प्रोसीडिंग कभी नहीं लिखी गई और इस बात को भी स्वीकार



किया गया है कि उसके सामने प्रस्ताव पर कोई सफेदा नहीं लगाया गया और किसी के द्वारा कोई दस्तखत नहीं किए गए। साक्षी के द्वारा बताया गया है कि वह अपने पिता के बताए अनुसार ही बातें बता रहा है, व्यक्तिगत रूप से उसे कोई जानकारी नहीं है। इसी प्रकार कंडिका 10 में साक्षी के द्वारा बताया गया है कि उसके पिता ने उसे बताया था और उसी आधार पर वह रिकार्ड में फेरबदल करने के संबंध में न्यायालय में कथन कर रहा है। व्यक्तिगत रूप से उसे कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार उक्त साक्षी व्यक्तिगत रूप से प्रकरण के संबंध में कोई जानकारी नहीं है वह मात्र सुना सुनाए आधार पर कथन कर रहा है। साक्षी के द्वारा प्रतिपरीक्षण कंडिका 4 में इस बात को स्वीकार किया है कि जनकसिंह की हत्या के संबंध में उसे पिता को भी सजा हुई है।

22. ऐसी दशा में वर्तमान साक्षी अजय अ0सा0 1 जो कि प्रकरण के संबंध में मात्र अनुश्रित साक्षी है उसे व्यक्तिगत रूप से कोई जानकारी भी नहीं है, उसके कथन के आधार पर अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं होता है। साक्षी चन्द्रशेखर भी हितबद्ध साक्षी है जिसकी कि आरोपी शिवप्रसाद से रंजिश चलने की बात को स्वीकार किया है। ऐसी दशा में परिवादी चन्द्रशेखर तथा साक्षी अजय जो कि हितबद्ध साक्षी है के कथनों के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन प्रकरण की प्रामाणिकता के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। यद्यपि इस संबंध में यह अवलोकनीय है कि स्वयं परिवादी चन्द्रशेखर नाला खुदाई, नीवा के कुँआ का गहरीकरण का कार्य और इन्द्राआवास के अंतर्गत कार्य होने की बात को स्वीकार कर रहा है।

23. अभियोजन साक्षी एस.के. दुवे अ0सा0 5 तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोहद का परीक्षण कराया गया है, के कथन का प्रतिपरीक्षण उपरांत जहाँ तक प्रश्न है, उक्त साक्षी कंडिका 5 में इस बात का ध्यान न होना बताया है कि जाँच रिपोर्ट देने के पहले ग्राम पंचायत भगवासा से संबंधित सम्पूर्ण रिकार्ड मंगवाया था अथवा नहीं। कंडिका 9 में साक्षी बताया है कि उनके द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई थी वह उपयंत्री, सचिव व सरपंच के जबाव एवं उनकी रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई थी। दस्तावेज जिन्हें कि फर्जी रूप से हस्ताक्षर आदि करना साक्षी बता रहा है, उक्त दस्तावेजों की जाँच किसी हस्तलिपि विशेषज्ञ से कराये जाने की कोई कार्यवाही उनके द्वारा नहीं की गई है।

24. इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी जिनके द्वारा कि न्यायालय के आदेश पर जाँच की कार्यवाही की गई है उनके द्वारा कोई रिकार्ड स्वयं तलब कर रिकार्ड को देखा गया अथवा मौके पर जाकर उन्होंने कोई बेरीफिकेशन किया हो ऐसा कहीं भी दर्शित नहीं होता है। उनके द्वारा सचिव एवं उपयंत्री की रिपोर्ट एवं सरपंच के जबाव के आधार पर उनके द्वारा रिपोर्ट पेश की जानी दर्शित होती है। साक्षी के द्वारा ऐसा कहीं स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया

है कि जाँच में कितनी राशि का गमन व हेश फेरा होना उनके द्वारा पाया गया। इसके अतिरिक्त ऑडिट रिपोर्ट जो कि ग्राम पंचायत की ऑडिट रिपोर्ट को भी उनके द्वारा तलब नहीं किया गया है जैसा कि उनके द्वारा प्रतिपरीक्षण कंडिका 10 में स्वीकार किया है, जबकि उस समय के रिकार्ड का ऑडिट हो जाना साक्षी सुनील ऋषिश्वर अ0सा0 4 जो कि पंचायत का सचिव है के द्वारा स्पष्ट रूप से अपने कथन में स्वीकार किया है।

25. उपरोक्त संबंध में तत्कालीन उपयंत्री एस.पी. माहौर अ0सा0 3 जनपद पंचायत गोहद जिन्होंने कि कार्य के संबंध में मूल्यांकन रिपोर्ट दी है के प्रतिपरीक्षण में यह आया है कि पंचायत के कार्यों का मूल्यांकन उनके साथ साथ उनकी समीक्षा भी की जाती है और उन्होंने कोई समीक्षा नहीं की थी। उनके द्वारा अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट में नीवा के कुँआ पर कार्य न होने के संबंध में उल्लेख किया गया है और प्रतिपरीक्षण कंडिका 8 में स्वीकार किया है कि गांव में बरसात के मौसम में प्रायः जल प्रवाह रास्ते में होता है और बरसात का पानी मय मिट्टी के कुँआ में भर जाता है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं परिवादी चन्द्रशेखर के द्वारा नीवा के कुँआ का गहरीकरण का कार्य होने के संबंध में अपने मुख्य परीक्षण में बताया है। इस संबंध में अभियोजन के द्वारा यह बताया जा रहा है कि कार्य हुए बिना मस्टर रोल तैयार कर राशि का भुगतान किया गया है, इस संबंध में प्र.पी. 6 व 7 के मस्टर रोल पेश है। उपरोक्त नीवा के कुँआ में काम होने के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से साक्षी राकेश व0सा0 1 का कथन कराया है जिसके द्वारा कि उक्त कुँआ के गहरीकरण में कार्य किया गया है और उसके द्वारा स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि उसे कार्य के बदले मजदूरी मिली थी।

26. अभियोजन साक्षी सुनील ऋषिश्वर अ0सा0 4 के कथन का प्रतिपरीक्षण उपरांत जहाँ तक प्रश्न है, उक्त साक्षी प्रतिपरीक्षण में ठहराव क्रमांक 15 में 5 के अंक के स्थान पर 6 का अंक किस के द्वारा किया गया है इस संबंध में उसे पता न होना व्यक्त किया है और इस संबंध में जानकारी न होना बताया है। उनके द्वारा नकल देने के पूर्व और किसी ने उक्त ठहराव की नकल ली थी अथवा नहीं और इस संबंध में प्र.डी. 1 का दस्तावेज जो कि उक्त ठहराव के संबंध में बैंक को दी गई कॉपी है उसमें कहीं भी काटपीट होने या ओव्हर राइटिंग होने का उल्लेख नहीं है। ऐसी दशा में उक्त प्रस्ताव पर ओव्हर राइटिंग या काटपीट आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा ही की गई हो ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त प्रोसिडिंग रजिस्टर नकल लेने के पूर्व अन्य सचिव के चार्ज में दिया गया था और वर्तमान साक्षी सुनील ऋषिश्वर के चार्ज में भी उसे दिया गया था। ऐसी दशा में उक्त प्रस्ताव पर ओव्हर राइटिंग, काटपीट आरोपीगण के द्वारा ही

किया गया हो ऐसा अनुमान के आधार पर प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

27. जहाँ तक पंचायत के प्रस्ताव पारित करने जो कि व्हाइटनर लगाकर प्रस्ताव क्रमांक 3 के आगे अन्य प्रस्ताव किया जाने का प्रश्न है, इस संबंध में कि उक्त व्हाइटनर किस के द्वारा लगाया गया है ऐसा कहीं भी कोई साक्ष्य नहीं है। पंचायत के प्रस्ताव पारित करने का जहाँ तक प्रश्न है, मात्र पंचायत के द्वारा कोई प्रस्ताव लिखा गया हो वह मूल्यवान प्रतिभूति जिसे कि धारा 30 भा0दं0वि0 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है उसमें आनी नहीं मानी जा सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में जबकि पंचायत प्रस्ताव क्रमांक 3 के पास व्हाइटनर आरोपीगण के द्वारा ही लगाया गया हो ऐसा केवल अनुमान के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है तथा पंचायत के प्रस्ताव मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में होना नहीं कहा जा सकता है।

28. इन्द्राआवास योजना के अंतर्गत 12,500/- रूपए की रसीद दिनांक 05.12.2005 जिसकी सत्यप्रतिलिपि प्रकरण के साथ संलग्न है उसमें सरपंच के हस्ताक्षर होना बताये गए है, जबकि पूर्व में उक्त रसीद जिसकी फोटोकॉपी प्र.पी. 8सी है उसमें सरपंच के हस्ताक्षर नहीं होना बताए गए है और इस आधार पर रसीद पर बाद में सरपंच के द्वारा कूट रचित रूप से हस्ताक्षर करना बताया है, किन्तु रसीद जिस पर कि विधिवत शील लगी हुई है और सचिव के भी हस्ताक्षर है और जिसे कि इन्द्राआवास के अंतर्गत भुगतान करने के संबंध में रसीद दी गई है उक्त भुगतान किसी हितग्राही को प्राप्त नहीं हुआ हो ऐसी भी कोई शिकायत आदि नहीं है।

29. यह भी उल्लेखनीय है कि पंचायत के ऑडिट होने के तथ्य को साक्षी सुनील ऋषिश्वर तथा परिवादी चन्द्रशेखर के द्वारा स्वीकार किया गया है, किन्तु ऑडिट में भुगतान पर किसी प्रकार की काई गड़बड़ी हुई हो ऐसा भी नहीं पाया गया है। निश्चित रूप से यदि भुगतान आदि में कोई गड़बड़ी या अनियमितता होती तो ऑडिट रिपोर्ट इस संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्ष्य है उसके आधार पर ही इस तथ्य का पता लगाया जा सकता है। उपरोक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि साक्षी एस.के. दुवे तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर जिन्होंने कि इस प्रकरण में जाँच की है, उनके द्वारा भी स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया गया है कि कुल कितनी राशि का गमन आदि हुआ था और किस के द्वारा गमन किया गया था ऐसा उन्होंने कहीं भी जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख नहीं किया गया है।

30. बचाव पक्ष के द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि परिवादपत्र चन्द्रशेखर के द्वारा रंजिश के कारण पेश किया गया है और परिवादपत्र की जाँच में जो तथ्य आए है वह तथ्य मात्र शंका एवं अनुमान के आधार पर उल्लेखित किए हैं। ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है कि दस्तावेजों की मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में कूट रचना वर्तमान आरोपीगण के द्वारा ही की गई



है। इस संबंध में जो परिस्थितियाँ बताई जा रही हैं उस आधार पर भी आरोपीगण के अपराध में संलिप्त होने का निष्कर्ष भी नहीं निकाला जा सकता है। इस बिन्दु पर बचाव पक्ष के द्वारा **अब्दुल मोहम्मद वि० स्टेट ए.आई.आर. 1980 पे. 499** पेश किया गया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि किसी भी अपराध को प्रमाणित करने का भार अभियोजन पर होता है। अभियोजन को संदेह से परे अपराध में आरोपी की संलिप्तता को प्रमाणित करना होगा। कार्यों में हुई अनियमितताएँ मात्र के आधार पर और इस संबंध में शंका मात्र के आधार पर भले ही वह शंका कितनी ही मजबूत क्यों न हो इस आधार पर अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। इसी प्रकार बचाव पक्ष के द्वारा **ए.आई.आर. 1979 एस.सी. 1236** पेश किया गया है जिसमें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के यह अवधारित किया गया है कि यदि कुछ परिस्थितियाँ जो कि आरोपियों के विरुद्ध अपराध कारित करने में शंका को इंगित करती हैं, किन्तु मात्र इस प्रकार की परिस्थितियों के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है।

31. बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों पर विचार किया गया एवं इस संबंध में वर्तमान प्रकरण में आई हुई सम्पूर्ण साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विचार किया गया। वर्तमान प्रकरण में अभियोजन के द्वारा आरोपीगण के द्वारा ही अपराध कारित करने के संबंध में कोई समाधानप्रद साक्ष्य जिससे कि आरोपीगण की अपराध में संलग्नता संदेह से परे प्रमाणित होती हो पेश नहीं की गई है। अभियोजन के द्वारा मुख्य रूप से पंचायत की प्रोसिडिंग एवं कार्यों में अनियमितता होने के परिप्रेक्ष्य में उन पर शंका होने के आधार पर अपराध में उनकी संलग्नता को मुख्य रूप से बताया जा रहा है, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्पष्ट रूप से यह अवधारित किया गया है कि मात्र शंका के आधार पर भले ही वह कितनी मजबूत क्यों न हो अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं मानी जा सकती है। इसके अतिरिक्त यदि कुछ परिस्थितियाँ जो कि आरोपीगण के विरुद्ध अपराध कारित करने की शंका को इंगित कर रही हैं, उन परिस्थितियों को इंगित करने मात्र के आधार पर भी उनके विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता संदेह से परे प्रमाणित होनी नहीं मानी जा सकती है।

32. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आई हुई सम्पूर्ण साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण जो कि ग्राम पंचायत भगवासा के सरपंच एवं सचिव हैं के द्वारा पंचायत की किसी राशि को प्राप्त करने के लिए मूल्यवान प्रतिभूति का निर्माण बेईमानी पूर्वक आशय से किया जाना और इस प्रकार शासन के साथ छल कर उक्त राशि को अपने उपयोग में सम्परिवर्तित किया जाना अथवा आरोपीगण के द्वारा मूल्यवान प्रतिभूति जिससे कि इस प्रकार के दस्तावेज के निर्माण से धन प्राप्त किया जा सके उनकी कूट रचना करना अथवा



उनके द्वारा छल के प्रयोजन के लिए दस्तावेजों की कूट रचना किया जाना अथवा कूट रचित किये गए दस्तावेजों को असली के रूप में उपयोग में लाने के संबंध में अपराध की प्रमाणिकता संदेह से परे प्रमाणित होनी नहीं पाई जाती है।

33. अतः अभियोजन का प्रकरण विचारित किये जा रहे आरोपीगण के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित होना न पाते हुए उन्हें आरोपित धारा 420, 467, 468, 471 भा.दं.वि के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों के पालन किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया।

(डी०सी०थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला—भिण्ड म०प्र०

(डी०सी०थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला—भिण्ड म०प्र०

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)